

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 2255/VII-1/2018/42 स्क्रीनिंग प्लान्ट/18
देहरादून, दिनांक: 1 जनवरी 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-246/स्क्रीनिंग प्लान्ट/खनन/देहू/2017-18, दिनांक 31 मई, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० आयुषि ट्रेडर्स प्रो० कर्मवीर सिंह पुत्र श्री प्रीत सिंह, निवासी ग्राम मडलौडा, तहसील मडलौडा, जिला पानीपत, हरियाणा हाल निवास 10 अनन्य विहार, सेवलाकला, देहरादून को जनपद देहरादून, तहसील विकासनगर, परगना पछुवादून, ग्राम जस्सोवाला के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 715 कुल रकवा 1.0780 है० नाप भूमि में 75 टन प्रति घंटा क्षमता का स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/संचालन हेतु 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चा माल (आर०बी०एम०) के स्रोत के संबंध में शपथ पत्र दिनांक 18.9.2018 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उनके द्वारा श्री मुकेश अरोड़ा पुत्र स्व० श्री सागर चन्द अरोड़ा, निवासी 13/3 बल्लूपुर रोड, देहरादून के पक्ष में जनपद देहरादून, तहसील कालसी के ग्राम ब्यासनहरी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 1.292 है० भूमि में स्वीकृत शासनादेश संख्या-893/VII-1/94-ख/2014, दिनांक 27 मई, 2014 द्वारा स्वीकृत उपखनिज के खनन पट्टे से उपखनिज की आपूर्ति की जायेगी। स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् उक्त स्वीकृत खनन पट्टे की समाप्ति अवधि के पश्चात् स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चा माल (आर०बी०एम०) की आपूर्ति/स्रोत के संबंध में अनुबन्ध/शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित किया जायेगा।
3. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० ऊँची होगी। भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तथा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों से कराया जाना होगा।
4. यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
5. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
6. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्रि समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
7. स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाना अनिवार्य होगा।
8. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
9. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
10. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने की समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।


11. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
12. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्वेशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्बारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
13. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
14. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई०डी० फेन के माध्यम से स्कबिंग की जायेगी। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
15. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित में निहित प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन किया जाना होगा।
16. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।

बृजेश कुमार सन्त
अपर सचिव

संख्या:- 2255 (1)/VII-1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 31.5.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० आयुषि ट्रेडर्स प्रो० कर्मवीर सिंह पुत्र श्री प्रीत सिंह, निवासी ग्राम मडलौडा, तहसील मडलौडा, जिला पानीपत, हरियाणा हाल निवास 10 अनन्य विहार, सेवलाकला, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव